(v) GSR 1052 dated 2-7--1966
(vi) GSR 1360 dated 9-9-1967
(vii) S.O. 321 dated 16-12-1967
(viii) GSR 1150 dated 3-7-1972
(ix) GSR 137 dated 22-11-1975
(x) GSR 336 dated 19-3-1977
(xi) GSR 1250 dated 24-9-1977
(xii) GSR 190 dated 4-2-1978
(xiii) GSR 15(E) dated 1981
(xiv) GSR 235 dated 15-2-1989
(xv) GSR 38(E) dated 28-1-1994
(xvi) GSR 94 dated 4-3-1995
(xviii) GSR 274 dated 6-7-1996
(xix) GSR 317 dated 27-7-1996.

थिकास ग्रायुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1997

सा०का०नि० 116 :--- राष्ट्रपति, संविधान के प्रनुच्छेद 309 के परन्सुक द्वारा प्रदत्त काक्तियों का प्रयोग करने हुए, उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद भर्ती नियम, 1996 का और संगोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनासे हैं, उार्थात :----

 (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उद्योग मंद्रालय, लघु उद्योग-विकास संगठन समूह "क" और "ख" भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपस्न में प्रकाशन की तारीख को धवृत्त होंगे।

2. उग्रोग मंद्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन समूह ''क'' और समृह ''ख'' पद भर्ती नियम, 1996 की ग्रनुसूची में ऋम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ 10 में की प्रबिष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, द्यर्थात् :——

''एक वर्ष''

[फार्क्स॰ ए-12018/1/90-प्रणा॰ (जो)] एम॰पी॰ जॉन, उप-निदेशक (प्रणासन)

- पाद टिप्पण---मूल नियम भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 185, तारीख 27-4-1996 टाल्ल प्रकाशित किया गया था ।
 - Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries)

New Delhi, the 6th February, 1997

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Industry, Small Scale Industry Development Organisation Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 1996, namely :---

1. (1) These rules may be called the Ministry of Industry, Small Scale Industry Development Organisation Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Industry, Small Scale Industry Development Organisation Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 1996, in the Schedule, against serial number 2, in column 10, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :---

"One Year",

[File No. A-12018 1 90-ADMN(G)]

M. P. JOHN, Dy. Director (Administration)

Foot Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide No. GSR 185, dated the 27-4-1996.

(झीद्योगिक विकास विभाग)

केन्द्रीय वायलर योर्ड

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1997

सा.का.नि. 117 ---भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की घारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय बायलर विमियम, 1950 में घीर संशोधन करने के लिए तारीख 4 मई, 1996 के भारत के राजपन्न भाग II खंड (3) उपखंड (1) के पृथ्ठ 883-884 पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (श्रौद्योगिक विकास विमाग) (केन्द्रीय बायलर बोर्ड) की 24 अप्रैल, 1996 को ग्रधिसूचना संख्या 194 में कतिएय प्रारूप विनियम प्रकाशित किए गये थे जिसमें उन सभी से जिन के उससे प्रभावित होने की संभावना थी । इसकें ढारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस ग्रधिसूचना के भारत के राजपल में प्रकाशन की तिथि और इसके सर्वसाधारण को उपलब्ध होने के 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा ।

प्रौर उक्त राजपत्न की प्रतियां आम जनता को 23 मई, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

भीर माम जनता से प्राप्त श्राक्षेपों और सुझावों पर केण्द्रीय यायसर बोर्ड द्वारा विचार किया गया था;

मतः, अब भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बायलर बोर्ड भारतीय बायलर जिनियम, 1950 में मौर संशोधन करने के लिए निम्नलिम्बित विनियम बनाता है, अर्थात् :---

 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वायलर (संशोधन) विनियम, 1997 है।

(2) यह सरकारी राजपक्ष में प्रकाशन की क्षारीख से लागू होंगे ।

2. इंडियन बायलर रैगूलेशन, 1950 में, रैगूलेशन 393 में, उप रैगूलेशन (बी) के स्थान पर निभ्नलिखित उप रैगूलेशन प्रतिस्थापित की जायेगी, प्रर्थात् :---

"(वी) राज्य में उपयोग हेतु भारत से बाहर बने बायलर के पिषय में, बायलर के निर्माण ड्राईग ग्रीर ब्रथ्य, डिजाइन व बनावट के ब्यारे सर्वप्रथम निर्माण के देश में इन्सपैक्टिंग ग्रथार्टी को जांच पड़ताल व मनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगे ।

> तरपण्चात् 100 टन प्रति घंटा या इससे अधिक भाव बनाने की शमता वाले फायर्ड बायलर तथा 20 टन प्रति घंटा या इससे अधिक वाले वेस्ट हीट बायलर की निर्माण ड्राईग और द्रव्य, डिजाइन व बनावट के व्यौरे तकनीकी सलाहकार (बायलर) को उच्च शक्तियुक्त सथा उच्च तापमान व दबाव पर उपयोग के लिये आधुनिक द्रव्य घौर सुदूर नियंत्रण व यंत्रीकरण हेतु, आयलर की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे । तत्पश्वात् निर्माण ट्राईग और द्रव्य, डिजाइन व बनावट के व्यौरे उस राज्य के मुख्य निरीक्षक बायलर जहां कि बायलर लगाया व उपयोग किया जायेगा, को निर्माण से पूर्व आन्तिम जांच पड़ताल व धनुमोदन हेल तार्कि बायलर के लगाने व पंजीकरण के समय उठने वाले प्रश्नों में बचने हेतु, प्रस्तुत किये जायेंगे ।"

> > [मिसिल सं. 6(3)/96-बायलर्स] विजय कुमार गोयल, सचित्र

पाद टिप्पणः ---मूल थिनियग ए.स. ग्रारं, ग्रो. संख्या 600 विनाक 15 सितम्बर, 1950 में केवल प्रांग्रेजो में प्रकाशित किये गये थे व ग्रन्तिम बार निम्न लिखित प्रधिसूचना से संणोधित किये गये थे:

- (1) सा.फा.नि. संख्या 178 दिनांक, 24 मार्च, 1990 (2) सा.फा.नि. संख्या 179 बिनांक, 24 मार्थ, 1990 (3) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक, 9 ग्रव्युबर, 1993 (4) सा.का.नि. संख्या 516 दिनांक, 23 प्रक्तूबर, 1993 (5) सा.का.नि. संख्या 634 विनांक, 25 विसम्बर, 1993 (6) सा.का.नि. संख्या 107 दिनांक 26 फरवरी, 1994 (गुद्धि पत्न सा.का.नि. संख्या 223 दिनांक, 14 मई, 1994) (7) सा.का.नि. संख्या 250 दिनांक, 4 जून, 1994 (8) सा.का.नि. संख्या 402 दिनांक, 12 मगस्त, 1994 (9) स.का.नि. संख्या 427 दिनांक, 20 ग्रगस्त, 1994 (10) सा.का.नि. संख्या 562 दिनांत, 12 नवम्बर, 1994 (11) सा.का.नि. संख्या 607 दिनांक, 10 दिसम्बर, 1994 (12) सा.का.नि. संख्या 83 दिनांक, 25 फरवरी, 1995 (13) सा.का.नि. संख्या 93 विनांक, 4 मार्च, 1995 (14) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक, 9 नवम्बर, 1996 (15) सा.का.नि. संख्या 582 दिनांक, 28 दिसम्यर, 1996
- (16) सा.का.नि. संख्या 59 दिनांक, 25 जनवरी, 1997 ।

(Department of Industrial Development) Central Boilers Board

New Delhi, the 13th February, 1997

G.S.R. 117.—Whereas certain draft regulations, further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, were published, as required by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) at pages 883-884 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th May, 1996 under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Central Boilers Board) number GSR 194 dated the 24th April, 1996, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 23rd May, 1996;

And whereas objections and suggestions received from the public were considered by the Central Boilers Board.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely :---

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amenament) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 393, for sub-regulation (b), the following subregulation shall be substituted, namely :---

> "(b) In the case of boilers made outside India for use in the State, the manufacturing drawings and particulars of the material, design and construction, of boilers shall be submitted initially to the Inspecting Authority in the country of manufacture for examination and approval.

The manufacturing drawings and the particulars of materials, design and construction in the case of fired boilers of steam generating capacity 100 Tonshour and above and that of Waste heat boiler of 20 Tons! hour and above shall then be submitted to the Technical Adviser (Boilers) for selection of latest materials with high strengths and use in high temperature and pressure, energy conservation and increased thermal efficiency and remote control and instru-mentation for the safety of the Boilers. Thereafter, the manufacturing drawings and the particulars of materials, design and construction shall be sent to the Chief Inspector of Boilers of the State where the boiler will be installed and used, for final examination and approval before commencement of manufacture so as to avoid questions arising at the time of erection and registrution of the boiller."

> [F. No. 6(3)[96-Boilers] V. K. GOEL, Secy.

- Footnote :--- The principal regulations were published in the Gazette of India as S.R.O. No. 600 dated 15th September, 1950 and last amended vide Gazette notifications---
 - (i) GSR 178 dated 24th March, 1990
 - (ii) GSR 179 datel 24th March, 1990
 - (iii) GSR 488 dated 9th October, 1993
 - (iv) GSR 516 dated 23rd October, 1993
 - (v) GSR 634 dated 25th December, 1993
 - (vi) GSR 107 dated 26th February, 1994 (Corrigendum GSR 223 dated 14th May, 1994)
 - (vii) GSR 250 dated 4th June, 1994
 - (viii) GSR 402 dated 12th August, 1994
 - (ix) GSR 427 dated 20th August, 1994
 - (x) GSR 562 dated 12th November, 1994
 - (xi) GSR 607 dated 10th December, 1994
 - (xii) GSR 83 dated 25th February, 1995
 - (xiii) GSR 93 dated 4th March, 1995
 - (xiv) GSR 488 dated 9th November, 1996
 - (xv) GSR 582 dated 28th December, 1996
 - (xvi) GSR 59 dated 25th January, 1997

खाय प्रसंस्करण उन्नोग मंत्रालय

नई बिल्ली, 17 जनवरी, 1997

सा०कार्शन० 118 ----राष्ट्रपति, सॉबधान के अनुच्छोद 309 के परन्तुक ढोरा प्रवत्त पक्तियों का प्रयोग करने हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में तकनीकी समन्वय अधिकारी (धान कुटाई मिल) के पद पर भर्ती की पश्चति का विनियमन करने के लिए निम्नजिधित नियम बनाते हैं, अर्थात्:---

े 1. संक्रिप्त नाम और भारम्भ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाथ प्रसंस्करण उन्नोग मंत्रालय तकतीकी समन्वय अधिकारी (बान कुटाई मिल) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेसनमान :----उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान के होंगे, जो इन नियमों से उपावद्य अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विजिदिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पर्द्धात, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :---उक्त पक्षें पर भर्ती की पढ़ति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनमे संबंधित अन्य यातें वे होंगी जो उक्त अतुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिधिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : **(बह** व्यक्ति)---

ं (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(अ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के अीवित होते हुए किसी व्यक्ति ये विवाह किया है, उक्त पद पद नियुक्ति का यात्र नहीं होगा :